न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
131 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	26.12.2022	16.03.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....आवेदक

बनाम

1–श्री दिनेश कुमार गोयल पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल निवासी जनता कॉलोनी देवली जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स अभय ट्रेडर्स नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक
2–मैसर्स अभय ट्रेडर्स नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक
3–श्री अरूण कुमार शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल शर्मा निवासी 93 पन्डों का मोहल्ला बालाजी का मन्दिर दिवाली बारां राज. प्रोपरायटर मैसर्स हाडौती एन्टरप्राईजेज 6 फ्लोर 3 बी–606 सुवालका एमरेल्ड रेजीडेन्सी बून्दी रोड कोटा राज.
4–मैसर्स हाडौती एन्टरप्राईजेज 6 फ्लोर 3 बी–606 सुवालका एमरेल्ड रेजीडेन्सी बून्दी रोड़ कोटा राज.
5–श्री अभिषेक नाहर पुत्र श्री मोहन लाल नाहर निवासी बालाजी मन्दिर के पास विजयनगर बरल–2, विजयनगर मसूदा अजमेर राज. पार्टनर मैसर्स कुशवाह स्पाईसेस 17 सालासर कॉलोनी, बरल रोड विजयनगर अजमेर
6–मैसर्स कुशवाह स्पाईसेस 17 सालासर कॉलोनी, बरल रोड विजयनगर अजमेर

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थीगण उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 16.03.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.10.2022 को समय 03:20 पी.एम पर मैसर्स अभय ट्रेडर्स नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री दिनेश कुमार गोयल पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री दिनेश कुमार गोयल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ प्लास्टिक के कट्टे में लगभग 150 पैकेट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 100–100 ग्राम पैक **लाल मिर्च पावडर (कुशवाह ब्राण्ड)**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

के रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री दिनेश कुमार गोयल को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **लाल मिर्च पावडर (कुशवाह ब्राण्ड)** जिसके बैच नं. 02 एवं पैकिंग की दिनांक 17.08.2022 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 100–100 ग्राम के 20 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **लाल मिर्च पावडर (कुशवाह ब्राण्ड)** को ज्यों का त्यों कागज के गत्ते के 4 डिब्बों में बराबर–बराबर प्रत्येक डिब्बे में 5–5 पैकेट प्रत्येक 100–100 ग्राम रखकर नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3287 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3287 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा नमूना क्रय करते समय श्री दिनेश कुमार गोयल पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स हाडौती एन्टरप्राईजेज 6 फ्लोर 3 बी–606 सुवालका एमरेल्ड रेजीडेन्सी बून्दी रोड कोटा राज. का कोई खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/480 दिनांक 03.11.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2910/एक्ट/2022/2942 दिनांक 17.10.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **लाल मिर्च पावडर (कुशवाह ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया।

आवेदक द्वारा मैसर्स हाडौती एन्टरप्राईजेज 6 फ्लोर 3 बी–606 सुवालका एमरेल्ड रेजीडेन्सी बून्दी रोड कोटा राज. से सम्पर्क करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मैसर्स कुशवाह स्पाईसेस 17 सालासर कॉलोनी, बरल रोड विजयनगर अजमेर का खरीद बिल पेश कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया जो उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता है। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **लाल मिर्च पावडर (कुशवाह ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **लाल मिर्च पावडर (कुशवाह ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.03.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0